न्यायालय जिला कलक्टर हनुमनगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या–:07 / 2017

रामेश्वर लाल पुत्र श्री चेतराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

––प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.10.2017 पत्रावली बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम रामेश्वार प्रकरण संख्या 07 / 2017 न्यायालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किऐ जाने बाबत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–1.श्री दलवीर सिंह वकील अपीलार्थी
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–24.01.2018

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 04.08.2017 को इस आशय का नोटिस प्रेषित किया गया कि दिनांक 22.06.2017 की जांच में यह पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अनुचित ट्रांजेशन कर 75 किलो गेहूँ व 64.5 लीटर मिट्टी तेल का दुरूपयोग किया गया है एवं

जिला कलक्टर

द्वितीय आरोप लगाया गया कि दिनांक 11.07.2017 की जांच में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनुचित ट्रांजेशन कर 4.03 किविंटल गेहूँ व 51.5 लीटर मिट्टी तेल का दुरूपयोग किया गया है। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2017 को जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जांच दल द्वारा उपभोक्ताओ/राशनकार्ड धारियो से कोई जांच नही की गई मात्र पोष मशीन के आधार पर मिथ्या आरोप लगाये गये है। अपीलार्थी ने जवाब नोटिस में अतिरिक्त कथन इस आशय के अंकित किये की श्रीमती निशा सहारण प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ ने उक्त तथ्यो के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध थाना पुलिस हनुमानगढ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 324 दिनांक 23.06.2017 को अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज करवाई है एवं यह प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के न्यायालय में लम्बित है। इसलिए न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक कोई निर्णय नही किया जावे। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 30.10.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट एवं अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप का जवाब अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.10.2017 को पेश किया गया था लेकिन अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के जबाव का कोई हवाला नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 324 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की दर्ज करवाई गयी है जबकि आदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/17 अंकित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अन्य एफ.आई.आर. को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुर्ववत् बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच में वितरण में अनियमितताऐ पाई जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी की यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.17 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अपीलार्थी के वकील द्वारा दौराने बहस यह कथन करना कि अपीलार्थी द्वारा जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के जबाव का कोई हवाला नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से अपीलार्थी द्वारा जबाव पेश नही किया जाना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कर्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 24.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official